



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2026**

विषय:- दिनांक 21 फरवरी, 2026 को सुलतानपुर चौसठ योगिनी हनुमान मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सेलीब्रिटी कलाकार के मानदेय, किराये व आवासन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4030/सं०नि०-15(125)/2024-25 दिनांक 17 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सचिव, यथार्थ मानस सेवा ट्रस्ट, सुलतानपुर के पत्र संख्या- 30, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 21 फरवरी, 2026 को सुलतानपुर चौसठ योगिनी हनुमान मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सेलीब्रिटी कलाकार निम्नानुसार प्रायोजित किया जाना प्रस्तावित है :-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र०	नाम	विधा	मानदेय	जीएसटी	किराया (हवाई टिकट पर व्यय)	कुल मानदेय
1	सुश्री अक्षरा सिंह, मुम्बई (Luv4aks entertainment)	सुगम संगीत	7.00	1.26	3.00	11.26
2	लखनऊ में आवासन पर व्यय					1.80
	योग (रूपये तेरह लाख छः हजार मात्र)					13.06

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 21 फरवरी, 2026 को सुलतानपुर चौसठ योगिनी हनुमान मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सेलीब्रिटी कलाकार के मानदेय, किराये एवं आवासन पर होने वाले व्यय **₹० 13.06 लाख (रूपये तेरह लाख छः हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (8) स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42- अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।